संख्या-3/2015/1962/49-1-14-500(108)/2001

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 22 जनवरी, 2015

विषय- उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-17638/स्थापन/सामान्य/2014-15 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ में निम्नलिखित सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 जिसमें भर्तियों पर रोक लगायी गयी है, से छूट प्रदान की जाती है:-

क- क0क0सहायक	**01 पद**
ख- अवर अभियंता (सिविल)	**04 पद**
ग- अवर अभियंता (विद्युत)	**01 पद**
घ- सहायक लेखाकार/आडिटर	**27 पद**
च- पी0बी0एक्स आपरेटर	**01 पद**
छ- प्राविधिक सहायक	**02 पद**
ज- सफाई कर्मचारी	**01 पद**
झ- माली	**02 पद**
ट- चौकीदार/चपरासी/मैसेन्जर/सहयोगी	**32 पद**
ठ- आपरेटर (शीतगृह)	**01 पद**
ड- इलेक्ट्रीशियन	**01 पद**
महायोग	**73 पद**

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रश्नगत पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक कार्यवाही निगम की आर्थिक स्थिति/संसाधनों के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये की जाये एवं भर्ती किये जाने से पूर्व निगम के संचालक मण्डल की स्वीकृति भी प्राप्त की जानी होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आये।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2015/1962(1)/49-1-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-2
3- सहकारिता अनुभाग-2

आज्ञा से,

(शोभ नाथ बिन्द)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।